महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005,माह सितम्बर 2005 में पारित किया गया है। यह संपूर्ण भारत में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। प्रारंभ में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों को दो फरवरी 2006 से विभिन्न राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया है। इन चयनित 200 जिलों में मध्यप्रदेश के 18 जिलें सम्मिलित है। एक अप्रेल 2007 से अन्य 13 जिलों को अधिसूचित किया गया। 01 अप्रेल 2008 से शेष 17 जिलो यथा – नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन, शाजापुर, मण्दसौर, विदिशा, मुरैना, भिण्ड, नीमच, सागर, रतलाम, होशंगाबाद, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर एवं भोपाल में योजना लागू की गई है। प्रदेश के समस्त जिलों में यह योजना लागू है।

योजना की विशेषताएं :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की प्रमुख विशेषताएं निम्न है–

- योजना उन ग्रामीण परिवारों के व्यस्क सदस्यों को, जो रोजगार की मांग करते है एवं अकुशल मानव श्रम करने के लिए तत्पर है, ऐसे परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिवस की रोजगार की गारंटी प्रदान करती है।
- प्रत्येक व्यक्ति ,जो योजना के अंतर्गत दिया गया कार्य करता है, प्रत्येक दिवस के लिए निर्धारित दर से मजदूरी पाने का पात्र होगा।
- कार्यस्थल पर मेट के पास प्राथमिक चिकित्सा पेटी,मजदूरों को पीने के लिये पानी की सुविधा, छाया की व्यवस्था एवं शिशुघर की व्यवस्था की जाती है। शिशुघर 6 वर्ष की आयु तक के 5 से अधिक बच्चों पर बनता है।
- श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर बैंक अथवा पोस्ट आफिस के माध्यम से किया जावेगा। किसी भी स्थिति में जिस दिनांक को कार्य किया गया था उससे एक पखवाडें की अवधि में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- श्रमिक जिसने कार्य के लिये आवेदन किया है और यदि उसे कार्य हेतु आवेदन के दिनांक से 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जावेगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम तीस दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर की एक चौथाई से कम नही होगी तथा शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी दर से आधी से कम नहीं होगी। बेरोजगारी भत्ता के रुप में प्रदाय की गई कुल राशि का योग सौ दिवस की न्यूनतम मजदूरी के योग से अधिक नहीं होगा।
- जब कोई समस्या/शिकायत हो, तो श्रमिक ग्राम पंचायत में सरपंच/पंचायत सचिव से सम्पर्क कर सकते है। यदि समाधान नही होता है तब मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत को शिकायत कर सकते है। सात

दिवस में निराकरण न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अथवा कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।

- योजना के प्रमुख प्रावधान एवं प्रगति की जानकारी www.nrega.nic.in तथा www.nregs-mp.org पर उपलब्ध है

योजना का उद्देश्य :–

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, उन्हे एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को अधिकतम् 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

योजना अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्य :–

- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए गए है–

(i) जल संवर्धन एवं संरक्षण ।
(ii) सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधा रोपण सहित)
(iii) सिंचाई,नहर(माइक्रो एंव लघु सिंचाई कार्यो सहित)
(iv) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अजा/अजजा के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
(v) परम्परागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरूद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)
(vi) भूमि विकास के कार्य ।
(vii) बाढ़ नियंत्रण एंव जल निकासी संबंधी कार्य ।
(viii) बारहमासी ग्रामीण पहुंचमार्ग का निर्माण।
(ix) केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कार्य।

प्रमुख उपयोजनाएं :–

- **कपिलधारा उपयोजनाः–** इस योजना अंतर्गत कृषकों के लिये कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य हेतु कपिलधारा उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया गया है। उपयोजना अंतर्गत मुख्य रूप से हितग्राही की निजी भूमि पर कूप निर्माण का कार्य किया जाता है।

- **नंदन फलोधान उपयोजनाः–** नंदन फलोघान उपयोजना के अंतर्गत पात्र एवं चयनित हितग्राहियों के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में पौध रोपण कार्य पर 05 वर्ष तक पौध विकास हेतु उघानिकी प्रजाति के फलोघान विकसित करने के लिये क्रियान्वयन किया जाता है। उपयोजना अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के फलदार पौधो का रोपण किया जाता है।

नंदन फलोघान हेतु पात्र हितग्राही

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
2. गरीबी रेखा के नीचे के परिवार
3. भूमि सुधार के हितग्राही
4. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही

- **भूमि शिल्प उपयोजनाः**– भूमि शिल्प उपयोजना अंतर्गत भूमि विकास मद के अंतर्गत प्रक्षेत्रिय मेढ बंधान के निर्माण हेतु भूमि शिल्प उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जाता है।

- **शैल पर्ण उपयोजनाः**– शैल पर्ण उपयोजना के अंतर्गत वनस्पति विहीन पहाडियों/टीलों पर कंटूर ट्रेंच एवं गली प्लग/बोल्डर चेक के निर्माण तथा जलाउ लकडी हेतु वृक्षारोपण एवं चारा उत्पादन के लिये शैलपर्ण उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जाता है।

- **वन्या उपयोजनाः–** वन्य उपयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधि के अंतर्गत टसर खाघ पौधो के रोपण व कोसा रेशम उत्पादन हेतु वन्या उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जाता है।

- **रेशम उपयोजनाः–** रेशम उपयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधि तथा उघानिकी विकास गतिविधि के अंतर्गत शहतूत प्रजाति के रोपण व रेशम उत्पादन हेतु रेशम उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जाता है।

- **निर्मल वाटिका उपयोजनाः–** निर्मल वाटिका उपयोजना अंतर्गत जल सरंक्षण एवं जल सवंर्धन, निजी भूमि पर बागवानी–बागान प्रसुविधा तथा भूमि सुधार के कार्य संपादित किये जाते है। उपयोजना का मुख्य उददेश्य ग्रामीण आजीविका के आधार –भूत संसाधनों का सुदृणीकरण करना है।
  उपयोजना अंतर्गत हितग्राही परिवार के घर की निजी घर की बाडी में अथवा समीपस्थ शासकीय भूमि पर कम से कम 5 बहुउपयोगी वृक्षों जैसे नीम, आवंला, अमरूद, आम, केला, पपीता इत्यादि का रोपण किया जाता है, तथा घर में बनने वाले शौचालय के साथ एक जोडा लींचिग पिट का निर्माण किया जाता है।

- **निर्मल नीर उपयोजनाः–** निर्मल नीर उपयोजना का प्रमुख उददेश्य निस्तार एवं स्वच्छ पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उपयोजना अंतर्गत जल सरंक्षण तथा भूजल संवर्धन तथा ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढीकरण हेतु सामुदायिक उपयोग के लिये तालाब निर्माण, कुआं निर्माण, सोकपिट निर्माण, माइक्रोवाटरशेड में कंटूर ट्रेंच, परकोलेशन तालाब, नाला बंधान, कुआं रिचार्ज आदि कार्य संपादित किये जाते है।

रोजगार हेतु आवेदन का प्रारूप

एनआरईजीएस–एमपी/ओपी/एफ–5

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश

रोजगार हेतु आवेदन

{पैरा 3.5.1 में निर्दिष्ट}

प्रति,

सरपंच
ग्राम पंचायत,

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत रोजगार के लिये आवेदन।

रोजगार– पत्र (जॉब कार्ड) पंजीयन क्रमांक
दिनांक
ग्राम का नाम

महोदय,

मै, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत नीचे दर्शाई गई अवधि के दौरान अकुशल मानव श्रम करने का इच्छुक हू।

अवधि : दिनांक .....से .....तक

मेरी प्राथमिकता निम्नलिखित कार्यो के लिये है :–

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

एनआरईजीएस–एमपी/ओपी/एफ–6

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश

रोजगार हेतु प्राप्त आवेदन की पावती

{पैरा 3.5.2 में निर्दिष्ट}

श्री/श्रीमती .....

निवासी .....

..... का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत रोजगार के लिये आवेदन दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

आवेदक का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत ग्राम ..... में पंजीकृत है।

उसका रोजगार–पत्र (जॉब कार्ड) पंजीयन क्रमांक .... है जो दिनांक ..... को जारी किया गया था।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पद एवं मुद्रा

मनरेगा अंतर्गत हितग्राही मूलक उपयोजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

1.पात्रता

- उपयोजनाओं के लाभ हेतु हितग्राही निम्न वर्ग के होना चाहिये।
  1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार।
  2. गरीबी रेखा के नीचे के परिवार।
  3. भूमि सुधार/(Land Reforms) के हितग्राही।
  4. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही।

2. प्रक्रिया

- उपयोजनाओं के अंतर्गत कार्यो का लाभ लेने के लिये हितग्राही को ग्राम पंचायत में आवेदन देना पड़ता है। ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद प्रस्तावित कार्य जनपद पंचायत में प्रेषित किया जाता हैं। अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत से प्रस्तावित कार्य जिला पंचायत प्रेषित किया जाता है। त्रिस्तरीय अनुमोदन के उपरांत तैयार शेल्फ आफ प्रोजेक्ट की कार्यवार सूची में से कार्य प्रारंभ किये जाते है। ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है। तदुपरांत ग्राम पंचायत द्वारा 05 लाख तक के कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है।

3. शिकायत निवारण व्यवस्था

- मनरेगा अंतर्गत कलेक्टर तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा कार्यो का सतत निरीक्षण किया जाता हैं। मजदूरी की मांग प्रस्तावित कार्य एवं शिकायत ग्राम पंचायतों को भेजी जा सकती है। कार्यवाही न होने पर जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। सात दिवस में शिकायत निवारण न होने पर आवेदन जिला पंचायत एवं कलेक्टर कार्यालय प्रेषित किया जा सकता है।

कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत हितग्राही परिवार का चयन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत निम्नानुसार वर्ग के हितग्राहियों की स्वामित्व वाली कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाता है :–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार।
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवार
- भूमि सुधार (Land Refroms) के हितग्राही
- इंदिरा आवास योजना के हितग्राही

अतः कपिलधारा उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य क्षेत्र में उल्लेखित वर्गो में से ऐसे हितग्राही परिवारों का चयन प्राथमिकता आधार पर किया जाना है, जो निम्न सभी मानदण्डो की पूर्ति करते है :–

1. जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि वर्षा आधारित (Rainfed) है व इसकी सिंचाई हेतु खेत में पानी का स्त्रोत उपलब्ध नही है।
2. जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि की जोत (Operational Land holding) ग्राम में एक ही जगह पर अथवा अलग–अलग जगहों पर मिलाकर 2 हेक्टयेर व इससे ज्यादा है। यदि किसी ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही उपलब्ध नहीं है तो 2 हेक्टेयर से कम एवं न्यूनतम 1.00 हेक्टेयर की सीमा तक की जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राहियों को कपिलधारा उपयोजना के हितग्राही रूप में चयनित किया जा सकेगा।
3. जिनके परिवार का कम से कम 1 सदस्य न्यूनतम 5वीं कक्षा पास हो/पढ़ा हुआ हो। Primitive Tribe जैसे सहरिया, बैगा, भारिया के लिए यह मानदण्ड लागू नहीं होगा।
4. जो कृषि की आधुनिक/Improved पद्धतियों तथा तकनीकों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं व इस संदर्भ में सकारात्मक सोच रखते है।

अनुलग्नक – 1

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत गतिविधि हेतु आवेदन

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन।

मैं कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत अपने खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु .... कार्य (व्यक्तिगत गतिविधि) का निर्माण करवाना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. ग्राम : .....
4. धारित कुल भूमि का रकबा : ..... हेक्टेयर
5. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।
6. प्रस्तावित संरचना का अनुमानित आकार

.....
.....
.....
.....

उपरोक्तानुसार कार्य का क्रियान्वयन होने पर निर्मित होने वाली संरचना का रख रखाव का दायित्व मेरा स्वयं का होगा।

हितग्राही के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 2

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत सामुहिक गतिविधि हेतु आवेदन

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन।

कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत हम निम्नानुसार आवेदक अपने खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ..... कार्य (सामुहिक गतिविधि) का निर्माण करवाना चाहते हैं। हमारी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदकों का विवरण :

क्र	आवेदकों का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	धारित भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)

2. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।

3. प्रस्तावित संरचना का अनुमानित आकार

.....
.....
.....
.....

उपरोक्तानुसार कार्य का क्रियान्वयन होने पर निर्मित होने वाली संरचना का रख रखाव का दायित्व हमारे द्वारा गठित उपयोगकर्ता दल का होगा।

हितग्राहियों के हस्ताक्षर

नंदन फलोद्यान उपयोजना अंतर्गत पात्र हितग्राही

मनरेगा अंतर्गत निम्नानुसार वर्ग के हितग्राहियों के स्वामित्व वाली भूमि में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने का प्रावधान किया गया है।

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
2. गरीबो की रेखा के नीचे के परिवार
3. भूमि सुधार (Land Reform) के हितग्राही
4. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही

अतः ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु केवल उपरोक्त वर्गो में से कार्य क्षेत्र के ऐसे हितग्राही परिवार पात्र होंगे, जो निम्न मानदण्ड की पूर्ति करते है :–

'' जिनके स्वामित्व वाली भूमि (कृषि भूमि एवं उत्पादन योग्य पड़त भूमि) की जोत ग्राम में एक ही जगह पर अथवा अलग–अलग जगहों पर परिवार के मुखिया के नाम पर या संयुक्त खाते के रूप में कम से कम 2 हेक्टेयर हो। यदि किसी ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक जोत की भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही परिवार उपलब्ध नही हो तो 2 हेक्टेयर से कम एवं न्यूनतम 1 हेक्टेयर तक की सीमा तक की जोत की भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही परिवार पात्र हो सकेंगे ''

अनुलग्नक – 1

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत फलोद्यान वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रति,

सरपंच
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्प्रदेश के अंतर्गत ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु प्रस्ताव।

मै ''नंदन फलोद्यान'' उपायोजना के अंतर्गत अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण कर फलोद्यान विकसित करवाना चाहता हूॅ। मेरी भूमि के खसरा के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग– 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. हितग्राही का नाम : .....
2. पिता/पति का नमा : .....
3. ग्राम : .....
4. धारित कुल भूमि का रकबा : .....
5. प्रस्तावित भूमि का रकबा : .....हेक्टेयर
   जिस पर फलोद्यान विकासित किया जायेगा ..... हेक्टेयर
6. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त फलोद्यान विकास का कार्य प्रस्तावित है।
7. प्रस्तावित प्रजातियों का विवरण व संख्या
   .....
   .....
   .....
   .....
8. हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत .....

हितग्राही के हस्ताक्षर
व नाम